सुचना का अधिकार अधिनियम 2005

विवरण पुस्तिका

उद्यान अनुभाग, गो0 बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर–263145 जिला–उधमसिंह नगर

बिन्दु 1 :— संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के अन्तर्गत उद्यान अनुभाग की स्थापना 01.12.1977 को हुयी है। जो कि विश्वविद्यालय पन्तनगर की ही एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस अनुभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य यह है कि यह सम्पूर्ण विश्वविद्यालय को सौन्दर्य पूर्ण बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त उद्यान अनुभाग अपने अनुभवी अधिकारियों एवं मालियों के द्वारा नये—नये पुष्पिय एवं सजावटी पौधों की गूटी, कलम इत्यादि वैज्ञानिक तरिकों के द्वारा उत्पन्न कराता है तथा उत्पन्न किये गये पौधों की बिक्री इत्यादि का कार्य भी करता है।

बिन्दु 2 :— अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

उद्यान अनुभाग में दो अधिकारी, एक वरिष्ठ हार्टिकल्चर चौधरी, दो जूनियर हार्टिकल्चर चौधरी, सहायक लेखाकार—1, प्रभारी कैम्पयस क्लीनिंग—1, लोहार—1, माली—36, कृषि श्रमिक—11, कार्यरत है। जिनका कार्य अपने पदनाम के अनुरूप है। जिनका कर्मचारी निर्वहन कर रहे है।

बिन्दु 3 :— लोकप्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा समय—समय पर निर्गत नियम, विनियम, निर्देशिका आदि का अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा पालन किया जाता है। अपने नियम और अनुदेश कुछ भी नहीं होते है।

बिन्दु 4 :— नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनितिधत्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

उद्यान अनुभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर इस अनुभाग में आने वाली जनता को मांगी गयी सूचना के आधार पर परामर्श एवं सलाह दी जाती है।

बिन्दु 5 :— दस्तावेजों, जो लोकप्राधिकारी द्वारा धारित या उनके नियंत्रणाधीन हैं श्रेणियों के अनुसार विवरण

उद्यान अनुभाग में जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं वह सीधे कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। जब भी कर्मचारी उसकी सूचना मांगते हैं तो उसकी सूचना तुरन्त कर्मचारियों को दे दी जाती है। ऐसा कोई भी दस्तावेज उद्यान अनुभाग में नहीं है जिसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बिन्दु 6 :— बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

उद्यान अनुभाग में बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकायें कुछ भी नहीं है, जिसमें अनता की भागीतदारी हो उद्यान अनुभाग में उन्हीं नियमों की पालन किया जाता है जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किये जाते है।

बिन्दु 7 :— लोक सूचनाधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

तत्कालीन आदेशानुसार उद्यान अनुभाग में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, उद्यान अनुभाग डा0 सन्तोष कुमार एवं सहायक लोक सूचनाधिकारी सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार यादव होंगे। जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूर्ण प्रयोग करेंगे।

बिन्दु 8 :— निर्णय करने की प्रक्रिया (परिवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की स्तर सहित)

किस कर्मचारी से क्या कार्य लिया जाना है तथा किस स्थान पर किस कर्मचारी की ड्यूटी लगानी है। इसका निर्णय प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग एवं गार्डन ओवरसियर/उद्यान अधीक्षक के द्वारा किया जाता है।

बिन्दु 9 :— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

उद्यान अनुभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्पष्ट निर्देशिका बनी हुयी है कि किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है और क्या कार्य लिया जाना है।

बिन्दु 10 :— अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

इस अनुभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जो प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मिलता है तथा उसमें समय —समय पर जो वृद्धि की जाती है वह नियंत्रक कार्यालय के द्वारा की जाती है। जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया है।

बिन्दु 11 :— प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

इस अनुभाग को निम्नलिखित पदों में धन का आवंटन नियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है। जैसे संस्थापना व्यय, मजदूरी व्यय, टेलीफोन व्यय, कार्यालय व्यय, ईधन एवं अनुरक्षण व्यय, मैटिरियल सप्लाई व्यय, यात्रा व्यय, अनावर्तक व्यय, इत्यादि जिसमें प्रतिवर्ष फेरबदल होती रहती है।

बिन्दु 12 :— अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।

उद्यान अनुभाग विश्वविद्यालय द्वारा पोषित अनुभाग है। इसको न तो कहीं से अनुदान मिलता है और न ही राज्य सरकार द्वारा अलग से धनराशि आवंटित की जाती है।

बिन्दु 13 :— रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।

बिन्दु 13 के विषय में उल्लेख किया जाता है। इस अनुभाग की सूचना शून्य है।

बिन्दु 14 :— कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के पद के अनुरूप मानक स्थापित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई फेरबदल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसमें समस्त कर्मचारियों से विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्य लिया जाता है।

बिन्दु 15 :— किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे

इस अनुभाग में इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है।

बिन्दु 16 :— सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण , किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लाक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण

इस अनुभाग में जो भी नागरिक जो भी सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे समय—समय पर सूचना देकर लाभान्वित किया जाता है। जिसके लिये इस अनुभाग के पास पुस्तकालय एवं वाचनालय उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु 17 :— ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

इस अनुभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों के द्वारा मांगी गयी सूचना को समय—समय पर पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया जाता रहा है।